

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2014/अग्रहायण 28, 1936

No. 371]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2014/AGRAHAYANA 28, 1936

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम के अधीन गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2014

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-299/2014.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश सं. 5/2012 में 2 सितंबर, 2014 को यह आदेश दिया है कि श्री वेद प्रकाश वर्मा, 8ए, ब्लॉक ए, एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट्स, सेक्टर 105, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, (सदस्य सं. 009806) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड 7, भाग 2 के खंड (i) के अर्थात्तर्गत वृत्तिक अवचार और धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अधीन “अन्य अवचार” का दोषी पाए जाने के कारण, छह मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री वेद प्रकाश वर्मा का नाम तारीख 1 जनवरी, 2015 से छह मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा। उस अवधि के दौरान वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

वी. सागर, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./104/14]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2014

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/D-299/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Delhi has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference Case No. 5/2012, ordered on 2nd September, 2014 that the name of Shri Ved Prakash Verma, 8A, Block A, Express View Apartments, Sector-105, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, 201301 (M. No. 009806), be removed from the Register of Members for a period of six months for having been found guilty of professional misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I, Clause (i) of Part II of Second Schedule and "Other Misconduct" under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri Ved Prakash Verma shall stand removed from the Register of Members for a period of six months w.e.f. 1st January, 2015. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Delhi.

V. SAGAR, Acting Secy.

[Advt.III/4/Exty./104/14]